08. अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यरत् को महाविद्यालयीन/विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं एवं विभागाध्यक्ष/प्रभारी के निर्देशानुसार अन्य दिये गये दायित्वों का अनिवार्य रूप से निर्वहन करना होगा।

प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,
कोरबा (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/आई.टी.के./स्था./2016/ 1996 कोरबा, दिनांक 29/09/2016

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, (माननीय अध्यक्ष महोदय), छ.ग. शासन, राजस्व, आपदा एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रायपुर, छ0ग0।
की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी, सिविल इंजी./सी.एस.ई./ई.ई.ई./मैके.इंजी./विज्ञान एवं मानविकी विभाग आई.टी. कोरबा।
3. प्रभारी अधिकारी (वेब साईट) संस्था के वेब साईट में अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. लेखाशाखा आई.टी. कोरबा।
5. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ....।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,
कोरबा (छ.ग.)

o/c

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा
बाल्को-उरगा रिंग रोड़, ग्राम झगरहा, पो. रिसदी, कोरबा (छ.ग.) 495 683
फोन नं. 07759-659874, 099814-43708, 098266-12408, 098939-05053, 094241-44099
E-mail: korbait@rediffmail.com, Website: www.itkorba.com

क्रमांक/आई.टी.के./स्था./2016/1995 कोरबा, दिनांक 29/09/2016

नियुक्ति पत्र

इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा सोसायटी के मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 24/08/2016 की नोटशीट के तारतम्य में निम्नांकित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए निम्नलिखित अभ्यार्थियों को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में विषम सत्र (जुलाई-दिसम्बर 2016) के लिए, आई.टी. कोरबा के सेटअप के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध निम्न शर्तों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। सभी अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे 07 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी दिनाँक से प्रभावशील माना जावेगा।

क्र.	नाम	विभाग	संस्था में रिक्त पद के विरूद्ध
01.	सुश्री निकीता रुनिझा	क.सा.एण्ड इंजी.	व्याख्याता
02.	सुश्री गरिमा अग्रवाल	क.सा.एण्ड इंजी.	व्याख्याता
03.	श्री अभिराम सिंघानिया	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता
04.	श्री छबीश्वर प्रसाद पटेल	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता

शर्तें :-

01. आई.टी. कोरबा के शासी निकाय की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के परिपालन में नियुक्त व्याख्याता को पारिश्रमिक रूपये 300/- (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति घंटे/पीरियेड की दर से देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 21000/- (रूपये ईक्कीस हजार मात्र) प्रतिमाह होगी। इसके अतिरिक्त नियुक्त को किसी प्रकार के अन्य भत्ते EPF/ESI की पात्रता नही होगी तथा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत नही करेंगे। नियुक्त व्याख्याता को प्रति दिन शैक्षणिक कार्यावधि तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

02. उपरोक्त आदेश के आधार पर नियुक्त व्याख्याता के द्वारा पारिश्रमिक छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितिकरण, वरिष्ठता, उच्च वेतनमान आदि किसी प्रकार की न तो मांग और न ही किसी भी न्यायालय में दावा पेश किया जा सकेगा।

03. अंशकालीन व्याख्याता की सेवाएं आवश्यकता न होने की दशा में किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने की स्थिति में तत्काल स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

04. उपरोक्त आदेश की निर्गमन की तिथि से 07 दिवस के अंदर अपना पदभार ग्रहण न करने पर या लगातार 07 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में नियुक्त व्याख्याता की सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। जिस दिन कक्षाएं होंगी उस दिन महाविद्यालयीन शिक्षण समय में उपस्थिति अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हों तो उसकी सूचना 01 दिवस पूर्व विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को देना होगा।

05. उपरोक्त अंशकालीन/अतिथि व्याख्याता अपनी पारिश्रमिक देयक, अगले माह के 03 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखाशाखा में जमा करेंगे। निर्धारित समय तक देयक प्रस्तुत नहीं करने पर भुगतान न होने की जिम्मेदारी संबंधित व्याख्याता की होगी।

06. नियुक्त व्याख्याता को शैक्षणिक गतिविधियां, प्राचार्य के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप एवं अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार उनके अधीन कार्य संपादित करना होगा।

07. अंशकालीन नियुक्ति पर कार्यरत् किसी को किसी अन्य संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम यथा ME/M.Tech या अन्य में प्रवेश लेना अथवा अन्य संस्थान में नियमित सेवा सर्वथा वर्जित रहेगा, ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner